राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 12(7)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांक : 20/2/15

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक के परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है। शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति दिये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में असाधारण विलम्ब किया जाता है, जिसके कारण ऐसी नियुक्तियों का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

मृतक राज्य कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–10(3) के तहत मृतक आश्रित को मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस में आवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया जाता है। प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, पात्र पाये जाने पर, तीन माह की अवधि में, विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर आवश्यक रूप से नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था करावें। अगर सम्बन्धित विभाग में पद रिक्त नहीं हो तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.04.2001 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु, आवेदन के तीन माह की अवधि में प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

कार्मिक विभाग द्वारा अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रेषित किये जाने पर, आवश्यक पूर्तियां सुनिश्चित कर तीन माह की अवधि में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जानी चाहिये। अनेक प्रकरणों में आयु सीमा एवं आवेदन में विलम्ब अवधि में शिथिलन के प्रकरण कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। ऐसे प्रकरण भी आवेदन के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिये।

कार्मिक विभाग से शिथिलन प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कुछ प्रकरणों में लम्बी अवधि तक नियुक्ति की प्रक्रिया को लम्बित रखा जाता है तथा अनेक प्रकरणों में पुनः शिथिलन के लिए कार्मिक विभाग को भेज दिया जाता है जो स्वस्थ परम्परा नहीं है।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कार्मिक विभाग से जारी शिथिलन आदेश की दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियुक्ति/कार्यग्रहण आदि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जावे। इसके बाद शिथिलन की अवधि स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

प्रशासनिक विभाग उक्त दिशा–निर्देशों (मय समयावधि) की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

19/2/15
(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

4/2015